

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20.।.।

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोपाल चौधरी नगर पालिका परिषद् शाजापुर 2 वर्तमान धारित पद प्राथी श्रेणी बागवान

3. वर्तमान वेतन 19373-00

अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2012

उत्त जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हों।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई को उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
गाव अडगांव तहसील जिला धुरधानपुर संक्रमा इन्डर	① गृह (2वर्ग 3ए2) कच्छा	—	50 हजार	स्वयं के नाम से	पिताजी से (विरासत से)	nil	—
	② गृह (रीनपोश कच्छा)	—	30 हजार	स्वयं के नाम से	फ्री स्ट्रक्चर पिता 2जाराक पारेल से खरीद तारीख 17/05/2005	nil	—
		भूमि 2.32 एकड़	लगभग 10 लाख	स्वयं के नाम पर	① 1.5 एकड़ भूमि पिताजी की भूमि उपयुक्त (विरासत से) ② 0.40 एकड़ भूमि फ्री स्ट्रक्चर चौधरी से खरीद तारीख 20/03/2001 ③ 0.35 एकड़ भूमि फ्री स्ट्रक्चर चौधरी से खरीद तारीख 10/04/2002	45 हजार	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालिन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर
नाम
पर

गोपाल चौधरी
प्राथी श्रेणी बागवान
नगर पालिका शाजापुर